(2)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सूरतगढ़) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - रामकुमार बंधला बनाम जरनैल सिंह आदि

किस्म मुकदमा :- 53-205 RTA प्रकरण सं. 306/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.01.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। तहसीलदार-सूरतगढ़ के पत्रांक 3922 Dt. 09.01.2024 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया है। शास्त्रि है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की है। उसी तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव सीमा का बाटवारा विभाजन का निर्देश दिया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। बाद वाली सीमा का विभाजन प्रस्ताव सीमा तय बटवारा है। विभाजन प्रस्ताव की मार बार राही कस्बा सूरतगढ़ के बटवारा केस 110/02 की खसरा 235/5.465, 235/1 की 0.341, 235/2 की 0.400 हे. कुल 6.207 हे. जाली भूमि का बटवारा विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव रद आगे की कार्यवाही रखी जाती है। नकल के बाद है। दिनांक उपरोक्त उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	